प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकलपीठ: माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा)

दाण्डिक अपील संख्या 480/1993

भारत विजय सिंह

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश के लिए दिनांक: 04.01.2012 को सूचीबद्ध करें

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकलपीठः माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा)

दाण्डिक अपील संख्या 480/1993

अपीलार्थी भारत विजय सिंह, पिता
श्री यशवंत बहादुर सिंह,
आयु लगभग 38 वर्ष,
साकिन - मुतेदा, नवागांव,
थाना खैरागढ़, जिलाः
राजनांदगाव, मध्य प्रदेश
(वर्तमान में छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य
(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

उपस्थितिः

श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री शशि भूषण, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से

श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से

निर्णय

(04/01/2012)

न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा:

(1) यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 126/92 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, सत्र खंड राजनांदगांव द्वारा दिनांक 29 मई, 1993 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 एवं 307 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा क्रमशः 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। उक्त सजाएँ क्रमवर्ती रूप से चलेंगी।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :

दिनांक 15.07.1992 को लगभग रात्रि 10:00 बजे, आहत कृष्णा बाई (अ.सा.-10) अपने घर के भीतरी बरामदे में सो रही थी। उसका 6 वर्षीय पुत्र दीनबंधु (अ.सा.-3) भी उसके साथ सो रहा था। आरोप है कि अपीलार्थी घर में प्रवेश किया और कृष्णा बाई (अ.सा.-10) पर चाकू से कई वार किए। घायल अवस्था में कृष्णा बाई अपनी बाड़ी की ओर भागी, जहाँ वह गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कृष्णा बाई (अ.सा.-10) की चीख-पुकार सुनकर रेमुन बाई तथा दुलार सिंह (अ.सा.-5) वहाँ पहुँचे। जयकरण (अ.सा.-4) भी वहाँ आ गया। उन्होंने कृष्णा बाई के पति को बुलाया, जो गाँव में रामायण कार्यक्रम में गए हुए थे। आहत को बेहोशी की अवस्था में बैलगाड़ी से थाना खैरागढ़ ले जाया गया, जहाँ उसके पति नंदकिशोर (अ.सा.-11) ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.-पी/18) दर्ज कराई। कृष्णा बाई का चिकित्सीय परीक्षण डॉ. डी.आर. जिंदानी (अ.सा.-6) द्वारा दिनांक 16.07.1992 को लगभग रात्रि 1:00 बजे किया गया। उन्होंने कृष्णा बाई (अ.सा.-10) के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई:

1) बाईं ओर वक्षस्थल पर $2^{1/2}$ इंच × 1/2 इंच का कटा हुआ घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2) बाईं ओर वक्षस्थल पर 1/2 इंच × 1/2 इंच × 1/4 इंच का कटा हुआ घाव।

3) हंसली (क्लैविकल) अस्थि के नीचे 1/4 इंच × 1/4 इंच × 1/4 इंच का कटा हुआ घाव।

4) बाईं ओर वक्षस्थल पर 1/8 इंच × 1/8 इंच × 1/4 इंच का कटा हुआ घाव।

5) दाईं ओर वक्षस्थल पर 1/4 इंच × 1/8 इंच × 1/8 इंच का कटा हुआ घाव।

6) दाहिने अग्रबाहु पर 1/2 इंच × 1/4 इंच × 1/8 इंच का कटा हुआ घाव।

7) दाहिने अग्रबाहु पर 1/4 इंच × 1/4 इंच × 1/8 इंच का कटा हुआ घाव।

8) पीठ के दाहिने भाग पर 3/4 इंच × 1/2 इंच × 3/4 इंच का कटा हुआ घाव।

9) पीठ के बाएँ भाग पर $1^{1/2}$ इंच × 1/4 इंच × 1 इंच का कटा हुआ घाव।

10) पीठ के दाहिने भाग पर $1^{1/4}$ इंच × 1/4 इंच का कटा हुआ घाव।

11) पीठ के दाहिने भाग पर 1/2 इंच × 1/2 इंच × 1/4 इंच का कटा हुआ घाव।

12) दाहिनी स्कैपुला (कंधे की हड्डी) के नीचे 2 इंच × 1/2 इंच × 1/4 इंच का कटा हुआ घाव।

13) पीठ के दाहिने भाग पर 3 इंच × 1/2 इंच का भेदा हुआ घाव, जो फेफड़े तक आर-पार गया था।

14) पीठ के दाहिने भाग पर, चोट क्रमांक 13 के नीचे, 1 इंच × 1/2 इंच का भेदी घाव।

15) पीठ के बाएँ भाग पर 1/2 इंच × 1/4 इंच × $1^{1/8}$ इंच का भेदी घाव।

16) चोट क्रमांक 15 के नीचे, फेफड़े तक गहरा 1 इंच × 1/2 इंच का भेदी घाव।

17) पीठ के बाएँ भाग पर 2 इंच × 1/2 इंच × 1/2 इंच का कटा हुआ घाव।

18) पीठ के बाएँ भाग पर, चोट क्रमांक 17 के नीचे, $1^{1/2}$ इंच × 1/2 इंच × 1/4 इंच का कटा हुआ घाव।

19) पीठ के बाएँ भाग पर 1 इंच × 1/4 इंच × 1/4 इंच का कटा हुआ घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20) बाएँ भुजा के ऊपरी भाग पर $1^{1/4}$ इंच × 1/4 इंच × 1/4 इंच का कटा हुआ घाव।

उन्होंने यह अभिमत दिया कि उक्त चोटें किसी धारदार हथियार से कारित की गई थीं तथा चोट क्रमांक 13 एवं 16 गंभीर प्रकृति की थीं और जीवन के लिए संकटापन्न थीं। उसकी चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रतिवेदन प्र.-पी/5 है। तत्पश्चात कृष्णा बाई (अ.सा.-10) को शासकीय चिकित्सालय, राजनांदगांव भेजा गया, जहाँ से उसे सेक्टर-9 अस्पताल, भिलाई ले जाया गया। वहाँ उसका परीक्षण डॉ. पी.आर. पाठकपत्रा (अ.सा.-7) द्वारा किया गया। उन्होंने उसे एक्सरे परीक्षण हेतु भेजा, जिसमें यह पाया गया कि कृष्णा बाई (अ.सा.-10) को बाईं हंसली, बाईं 10वीं पसली तथा दाईं 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 10वीं पसलियों में फ्रैक्चर हुआ था। एक्स-रे प्रतिवेदन एवं बेड-हेड-टिकट प्र.-पी/8, पी/9, पी/10, पी/11, पी/12, पी/13, पी/14 एवं पी/15 के रूप में सिद्ध किए गए हैं। डॉ. पाठकपत्रा (अ.सा.-7) ने भी अभिमत दिया कि पीड़िता को लगी चोटें जीवन के लिए संकटापन्न थीं। कृष्णा बाई को दिनांक 11.08.1992 को चिकित्सालय से छुट्टी दी गई। दिनांक 16.07.1992 को उसका मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया। उक्त मृत्युकालिक कथन में उसने अपीलार्थी का नाम अपने हमलावर के रूप में बताया। बाद में, जब वह जीवित बच गई, तो उसका धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन भी दिनांक 21.08.1992 को दर्ज किया गया और तत्पश्चात अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश ने कृष्णा बाई (अ.सा.-10) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए यह अभिमत दिया कि अपीलार्थी ही कृष्णा बाई के घर में प्रवेश कर उसे उपर्युक्त प्रकार से हमला करने वाला व्यक्ति था; अतः वह भारतीय दंड संहिता की धारा 450 एवं 307 के अंतर्गत दंडनीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता जो अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए, ने तर्क प्रस्तुत किया कि कृष्णा बाई (अ.सा.-10) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अंधेरी रात में उसके लिए हमलावर की पहचान करना संभव नहीं था। कृष्णा बाई के पुत्र दीनबंधु (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अंधकार के कारण वह हमलावर की पहचान नहीं कर सका तथा वह अपने पिता के कहने पर अपीलार्थी का नाम ले रहा है। अतः कृष्णा बाई (अ.सा.-10) द्वारा अपीलार्थी की पहचान कर पाना संदिग्ध प्रतीत होती है और अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी तर्क किया कि मृत्युकालिक कथन भी अभिलिखित किया गया था, परंतु उसे अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अभियोजन का आचरण संदिग्ध प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(6) कृष्णा बाई (अ.सा.-10) ने अपने कथन में कहा है कि घटना वाले दिन लगभग रात्रि 10:00 बजे, जब वह अपने घर के बरामदे में सो रही थी, तब अपीलार्थी वहाँ आया और उस पर चाकू से आक्रमण किया। उसने उस पर 20-25 चाकू के वार किए, जिनमें से 18 वार उसके शरीर पर लगे। वह चिल्लाई और अपनी बाड़ी की ओर भागी, जहाँ वह बेहोश हो गई। उसके पश्चात उसे राजनांदगांव अस्पताल में होश आया, जहाँ एक अधिकारी ने उसका कथन दर्ज किया। बाद में उसे भिलाई स्थानांतरित किया गया,

जहाँ उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने कहा कि उस समय चाँदनी रात थी और उसने अपीलार्थी को पहचान लिया था। वह चड्डी और बनियान पहने हुए था।

(7) श्री तिवारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यद्यपि कृष्णा बाई (अ.सा.-10) का मृत्युकालिक कथन कथित रूप से दिनांक 16.07.1992, अर्थात घटना के अगले दिन, अभिलिखित किया गया था, तथापि उसे अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। उसे दिनांक 27.01.1993 को एक आवेदन के साथ सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इससे अभियोजन का आचरण संदिग्ध प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि किसी कथन को मृत्युकालिक कथन के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य माने जाने के लिए आवश्यक है कि वह कथन करने वाला व्यक्ति जीवित न रहे। यदि कथन करने के पश्चात वह व्यक्ति जीवित बच जाता है, तो उस कथन को मृत्युकालिक कथन के रूप में नहीं माना जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1) के अनुसार मृत्युकालिक कथन एक सुसंगत तथ्य है और इस कारण साक्ष्य में ग्राह्य है। धारा 32(1) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के संबंध में अथवा उन परिस्थितियों के संबंध में, जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, किया गया कथन उन मामलों में सुसंगत तथ्य है तथा साक्ष्य में ग्राह्य है, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण विचाराधीन हो। उक्त धारा यह भी उल्लेख करती है कि ऐसा कथन तभी साक्ष्य में ग्राह्य होगा जब कथन करने वाला व्यक्ति मृत हो, अथवा उसका पता न चल रहा हो, अथवा वह साक्ष्य देने में अक्षम हो गया हो, अथवा उसकी उपस्थिति अत्यधिक विलंब या व्यय के बिना सुनिश्चित न की जा सके। जब कोई व्यक्ति, जो मृत्यु की आशंका में

कथन करता है, अंततः जीवित रहता है, तो वह कथन मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं होगा।

(9) वर्तमान प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि जब कृष्णा बाई (अ.सा.-10) जीवित बच गई, तब दिनांक 16.07.1992 को रात्रि 10:30 बजे कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा अभिलिखित उसका कथित मृत्युकालिक कथन अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। बाद में लोक अभियोजक द्वारा उसे प्रस्तुत किया गया, परंतु उसे अभिलेख पर स्वीकार नहीं किया गया और वह अभिलेख के भाग 'बी' में एक अप्रमाणित दस्तावेज के रूप में ही बना रहा। उक्त दस्तावेज का महत्व एक पूर्व कथन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह अभियोजन का मामला नहीं है कि कथित मृत्युकालिक कथन में कृष्णा बाई (अ.सा.-10) ने हमलावर का नाम प्रकट नहीं किया था अथवा किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिया था। अतः उसका प्रस्तुत न किया जाना अभियोजन के लिए इस प्रकार घातक नहीं है कि उसे किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज को छिपाया जाना के रूप में माना जाए। किसी भी प्रकार से इससे अपीलार्थी के बचाव को कोई क्षति नहीं पहुँची है। अतः कथित मृत्युकालिक कथन को प्रस्तुत न करना अथवा उसके वक्ता द्वारा उसे सिद्ध न करना इस मामले में कोई अंतर उत्पन्न नहीं करता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) दीनबंधु (अ.सा.-3) एक बाल साक्षी है। वह पीड़िता कृष्णा बाई (अ.सा.-10) का पुत्र है और घटना के समय वह अपनी माता के साथ सो रहा था। अपने मुख्य परीक्षण में उसने कहा कि उसने अपीलार्थी को पहचाना, जिसने उसकी माता पर आक्रमण किया। किंतु प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि रात अंधेरी थी, इसलिए वह यह नहीं देख सका कि उसकी माता पर किसने आक्रमण किया, और उसने अपने पिता के कहने पर अपीलार्थी का नाम लिया। सत्र न्यायाधीश ने दीनबंधु (अ.सा.-3) के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया। श्री तिवारी ने तर्क किया है कि जब दीनबंधु (अ.सा.-3)

हमलावर की पहचान नहीं कर सका, तो कृष्णा बाई (अ.सा.-10) ने उसे कैसे पहचान लिया। यह आवश्यक नहीं है कि यदि दो चक्षुदर्शी-साक्षियों में से एक हमलावर की पहचान न कर सके, तो दूसरा भी पहचान न कर सके। वर्तमान प्रकरण में कृष्णा बाई (अ.सा.-10), जो स्वयं पीड़िता है, पर चाकू से अत्यंत निकट दूरी से 20 कटे हुए घाव कारित किये थे; अतः उसे हमलावर को पहचानने का पूर्ण अवसर प्राप्त था। यदि उसने उसे पहचाना और प्रथम अवसर पर उसका नाम प्रकट किया, तो केवल इस आधार पर कि अन्य चक्षुदर्शी-साक्षी दीनबंधु (अ.सा.-3) उसे पहचान नहीं सका, उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है।

(11) श्री तिवारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि चूँकि कोई प्रकाश नहीं था और रात अंधेरी थी, इसलिए कृष्णा बाई (अ.सा.-10) के लिए अपीलार्थी की पहचान करना संभव नहीं था। यह तर्क कृष्णा बाई (अ.सा.-10) के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। सत्र न्यायाधीश ने निर्णय की कंडिका 19 में यह उल्लेख किया है कि यद्यपि घटना के समय विद्युत प्रकाश बंद था, तथापि बरामदे और आँगन में पर्याप्त चाँदनी थी। आँगन उसी बरामदे से सटा हुआ है जहाँ कृष्णा बाई (अ.सा.-10) सो रही थी। दिनांक 15.07.1992 कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन था; अतः दिनांक 14.07.1992, अर्थात घटना की तिथि, गुरु पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन पर्याप्त चाँदनी उपलब्ध रहती है, और जैसा कि कृष्णा बाई ने कहा है, उसने चाँदनी में अपीलार्थी की पहचान की थी। कृष्णा बाई (अ.सा.-10) के समस्त साक्ष्य तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा कंडिका 19 में अभिलिखित निष्कर्षों का अवलोकन करने के पश्चात मेरा यह मत है कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने सही रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि पीड़िता द्वारा हमलावर की पहचान हेतु पर्याप्त चाँदनी उपलब्ध थी और इस आधार पर कृष्णा बाई (अ.सा.-10) के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) श्री तिवारी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.-पी/18) में हमलावर का नाम अंकित नहीं किया गया है। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन नंदकिशोर (अ.सा.-11) द्वारा तत्परता से दर्ज कराई गई थी। वह कृष्णा बाई (अ.सा.-10) का पति है। उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अपीलार्थी का नाम उल्लेखित नहीं किया। अभियोजन का मामला यह है कि घटना के समय नंदकिशोर (अ.सा.-11) अपने घर पर उपस्थित नहीं था। घटना के पश्चात अन्य साक्षियों द्वारा उसे बुलाया गया। जब वह घर पहुँचा, तब उसने कृष्णा बाई (अ.सा.-10) को अचेत अवस्था में पाया। उसे तत्काल थाना ले जाया गया और शिकायत दर्ज कराई गई। तत्पश्चात उसे चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ उसका परीक्षण डॉ. डी.आर. जिंदानी (अ.सा.-6) द्वारा किया गया। नंदकिशोर (अ.सा.-11) के प्रतिपरीक्षण में कहीं यह तथ्य सामने नहीं आता कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.-पी/18) दर्ज कराने से पूर्व उसने कृष्णा बाई (अ.सा.-10) से कोई बातचीत की थी। उससे यह भी नहीं पूछा गया कि क्या उसने दीनबंधु (अ.सा.-3) से घटना या हमलावर के संबंध में कोई चर्चा की थी। अतः यह प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने से पूर्व नंदकिशोर (अ.सा.-11) को हमलावर का नाम ज्ञात नहीं था, और ऐसी स्थिति में यदि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में हमलावर का नाम उल्लिखित नहीं है, तो उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) हमलावर का नाम पहली बार दिनांक 16.07.1992 को रात्रि 10:30 बजे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकट किया गया, जब शासकीय चिकित्सालय, राजनांदगांव में उसका कथित मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया। अतः उससे पूर्व किसी को भी हमलावर का नाम ज्ञात नहीं था और उसका नाम उन अभियोजन दस्तावेजों में स्वाभाविक रूप से नहीं आया, जो दिनांक 16.07.1992 से पूर्व तैयार किए गए थे। कृष्णा बाई (अ.सा.-10) के साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण करने पर मुझे उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से

उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने उस पर उपर्युक्त प्रकार से चाकू से आक्रमण किया। मेरा मत है कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता कृष्णा बाई (अ.सा.-10) के स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर सही रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने उसके घर में प्रवेश कर चाकू से उस पर आक्रमण किया, जिससे उसे उपर्युक्त अनुसार 20 कटे हुए घाव तथा 6 अस्थिभंग कारित हुए।

(14) ***हरि किशन एवं हरियाणा राज्य बनाम सुखबीर सिंह एवं अन्य, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 2127*** में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि "धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत न्यायालय को यह देखना होता है कि कृत्य, उसके परिणाम की परवाह किए बिना, क्या उस धारा में वर्णित आशय या ज्ञान तथा परिस्थितियों के साथ किया गया था। अभियुक्त का आशय या ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हत्या के अपराध को स्थापित करने हेतु आवश्यक है। इस तत्व के सिद्ध हुए बिना "हत्या का प्रयास" का अपराध सिद्ध नहीं हो सकता। धारा 307 के अंतर्गत आशय, अभियुक्त को आरोपित कृत्य से पूर्ववर्ती होता है। अतः आशय का निर्धारण सभी परिस्थितियों से किया जाना चाहिए, न कि केवल उसके परिणामों से। उपयोग किए गए हथियार का स्वरूप, उसका प्रयोग किस प्रकार किया गया, अपराध का उद्देश्य, प्रहार की तीव्रता तथा शरीर के जिस अंग पर चोट पहुँचाई गई, ये सभी ऐसे कारक हैं जिन्हें आशय के निर्धारण हेतु विचार में लिया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) वर्तमान प्रकरण में प्रयुक्त हथियार का स्वरूप, अपीलार्थी द्वारा किया गया आक्रमण, कारित की गई चोटों की प्रकृति एवं संख्या, प्रहारों की तीव्रता तथा शरीर के जिन महत्वपूर्ण अंगों को लक्ष्य बनाया गया, ये सभी परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के आशय को प्रकट करती हैं, जो पीड़िता का जीवन समाप्त करने के प्रयास

से कम नहीं था। अतः माननीय सत्र न्यायाधीश ने उसे भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 307 एवं 450 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए सही निर्णय दिया है।

(16) श्री तिवारी ने अंततः यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी एवं पीड़िता के मध्य समझौता हो गया है और दोनों ने अपराधों के शमन की अनुमति तथा समझौते को स्वीकार किए जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए और अपीलार्थी को प्रदत्त दंड में कमी की जाए।

(17) मैंने उपर्युक्त तर्क पर विचार किया है। पीड़िता को लगी चोटों की संख्या एवं प्रकृति, उन चोटों को कारित करने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रयुक्त हथियार तथा जिस प्रकार से आक्रमण किया गया, इन समस्त परिस्थितियों को देखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाकर प्रत्येक आरोप के अंतर्गत प्रदत्त मूल दंडावधि में कमी करना उचित नहीं प्रतीत होता। तथापि, घटना के पश्चात पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने तथा इस बीच पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाने को ध्यान में रखते हुए, यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि दंडों को क्रमिक रूप से चलाने के स्थान पर समवर्ती रूप से चलाने का निर्देश दिया जाए। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को प्रदत्त सजाएँ समवर्ती रूप से चलेंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) उपर्युक्त संशोधन के साथ, अपीलार्थी को प्रदत्त दंडादेश में परिवर्तन करते हुए अपील निरस्त की जाती है।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Aryan Mishra

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur